



अंतर-सेवा संगठन (कमान, नयित्रण और अनुशासन) वधियक, 2023

प्रलिम्स के लिये:

[अंतर-सेवा संगठन \(कमान, नयित्रण और अनुशासन\) वधियक, 2023](#), अंडमान और निकोबार कमांड, भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना कमांड ।

मेन्स के लिये:

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नयित्रण और अनुशासन) वधियक, 2023 की मुख्य वशिषताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने सशस्त्र बलों के बीच दक्षता, अनुशासन और एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से [अंतर-सेवा संगठन \(कमान, नयित्रण और अनुशासन\) वधियक, 2023](#) पारित किया है ।

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नयित्रण और अनुशासन) वधियक, 2023:

■ पृष्ठभूमि:

- वर्तमान में **सशस्त्र बल** के कर्मियों को उनके वशिषिट सेवा अधिनियमों- **सेना अधिनियम, 1950**, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 में नहिति प्रावधानों के अनुसार नयित्त्रति किया जाता है ।
 - हालाँकि इनके कार्यों की वविधि प्रकृति ने कभी-कभी अंतर-सेवा प्रतषिठानों में प्रभावी **अनुशासन, समन्वय और त्वरति कार्यावाही** हेतु चुनौतियाँ पैदा की हैं ।
 - अंतर-सेवा संगठन (कमान, नयित्रण और अनुशासन) वधियक, 2023 अपने दूरदर्शी प्रावधानों के साथ इन चिंताओं का समाधान करता है ।
- वर्तमान सेवा अधिनियम के नयिम एवं वनियम, जो कई वर्षों तक समय और कानूनी जाँच का सामना कर चुके हैं, **ISO वधियक, 2023** के तहत कसि भी बदलाव के अधीन नहीं हैं ।

■ प्रमुख वशिषताएँ:

- प्रयोज्यता: यह वधियक सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी नयिमति कर्मियों पर लागू है ।
 - इसके अतरिकित केंद्र सरकार भारत में स्थापति और संचालति कसि भी बल को नामति करने का अधिकार रखती है, जसि पर वधियक के प्रावधान लागू होंगे ।
- अंतर-सेवा संगठन: मौजूदा अंतर-सेवा संगठनों को वधियक के तहत गठति माना जाएगा । इनमें **अंडमान और निकोबार कमांड, रक्षा अंतरकिष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी** शामिल हैं ।
 - केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है जसिमें सेना, नौसेना और वायु सेना- तीनों सेवाओं में से कम-से-कम दो से संबंधति कर्मी हों ।

नोट:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त कमान भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रि-सेवा थिएटर कमान/कमांड है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थति है ।
 - भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं । थल सेना और वायु सेना की 7-7 कमानें हैं । नौसेना के पास 3 कमान हैं ।
 - प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4-स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है ।
- वसितारति कमान और नयित्त्रण प्राधकिरण: वधियक के केंद्रीय सदिधांतों में से एक अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ (Commander-in-Chief) या ऑफसिर-इन-कमांड (Officer-in-Command) को कमान और नयित्त्रण प्राधकिरण का वसितार करना है ।
 - मौजूदा ढाँचे के वपिरीत जहाँ इन अधिकारियों के पास अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक तथा प्रशासनकि शक्तियों का

अभाव है, वधियक उन्हें पूरण कमान और नयित्रण का अधकार देता है ।

◦ इसमें अनुशासन बनाए रखना तथा सेवा कर्मयों द्वारा कर्तव्यों का उचित नषिपादन सुनश्चिति करना शामिल है ।

- **कमांडगि ऑफसिर (Commanding Officer):** यह बलि एक कमांडगि ऑफसिर की अवधारणा पेश करता है, जो कसिी यूनिटि, जहाज़ या प्रतषिठान की देख-रेख के लयि ज़मिमेदार होता है ।
 - यह अधकारिी अपने यूनिटि-वशिषिटि कर्तव्यों के अलावा अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ या ऑफसिर-इन-कमांड द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करता है ।
- **केंद्र सरकार का प्राधकार:** एक अंतर-सेवा संगठन का अधीक्षण केंद्र सरकार में नहिति होगा ।
 - सरकार ऐसे संगठनों को **राषट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या सार्वजनकि हति** के आधार पर भी नरिदेश जारी कर सकती है ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inter-services-organisation-command,-control-discipline-bill-2023>

